न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2797/2005/बून्दी

1. मथुरा पुत्र कालू जाति मीणा निवासी ग्राम बांझडली तहसील केशोराय पाटन जिला बून्दी

–अपीलार्थी

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर केशोराय जी महाराज स्थान केशोरायपाटन जिला बून्दी जरिये व्यवस्थापक संरक्षक निरीक्षक देवस्थान विभाग, बून्दी

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री ओमप्रकाश भट्ट, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 02.05.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन के न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जाप्ता दीवानी के तहत कब्जा प्राप्ति बाबत् प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया ग्राम

बाझडली स्थित आराजी खसरा नम्बर 523 रकबा 3.25हैक्टयर भूमि मूर्ति मन्दिर केशवराय के पाटन की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा नाजायज अतिक्रमण कर लिया। अतः प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय ने वादपत्र, जवाबदावे के आधार पर दो तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय दिनांक 02–04–2003 से वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बेदखली के वाद को डिक्री कर दिया। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–01–2005 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया गया, जो सुनवाई योग्य ही नहीं था क्योंकि वादी को विवादित आराजी बाबत् बेदखली का वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना चाहिए था। उनका कथन है कि विचारण

न्यायालय ने उनके पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना बेदखली का आदेश पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य था। उनका कथन है कि वादी पक्ष की ओर से पूर्व में भी विवादित आराजी बाबत् दावा प्रस्तुत किया गया था, जो अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 27-9-1989 को खारिज हो चुका था। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा इसी विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित था। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर उनका पक्षकार 50 वर्षो से काबिज काश्त है तथा बेदखली का वाद प्रस्तुत करने की मियाद 12 वर्ष है। वादी ने अत्यधिक विलम्ब से बेदखली का वाद प्रस्तुत किया, जो मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की गयी। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष वादी प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। उनका कथन है कि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की आराजी पर अतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। उनका कथन है कि पूर्ववर्ती वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ था, पूर्ववर्ती वाद को निस्तारण गुणावगुण के आधार पर नहीं होने

से रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य् किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य् किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन के न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गतआदेश 7 नियम 1 जाप्ता दीवानी के तहत कब्जा प्राप्ति बाबत् प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया ग्राम बाझडली स्थित आराजी खसरा नम्बर 523 रकबा 3.25हैक्टयर भूमि मूर्ति मन्दिर केशवराय के पाटन की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा नाजायज अतिक्रमण कर लिया। अतः प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने का अनुतोष चाहा।विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा

कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय दिनांक 02–04–2003 से वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बेदखली के वाद को डिक्री कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी जमाबन्दी प्रदर्श–2 के अनुसार मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। मन्दिर मूर्ति को शास्वत नाबालिग माना गया है तथा मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि पूर्ववर्ती वाद का निस्तारण होने से पश्चात्वर्ती वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित है। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ववर्ती वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। मूर्ति मन्दिर शास्वत नाबालिग होती है, जिसकी ओर से प्रस्तुत वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज नहीं किया जाकर न्यायालय को वाद मित्र नियुक्त करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त भी पूर्ववर्ती वाद का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर नहीं होने से पश्चात्वर्ती वाद में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त प्रभावी रूप से लागू नहीं होगा। जहां तक प्रतिवादी अपीलार्थी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवादित आराजी में विधिक अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न है, विभिन्न माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। जहां तक बेदखली का वाद प्रस्तुत करने की मियाद 12 वर्ष होने का प्रश्न है, वादी प्रत्यर्थी ने अपने वादपत्र में वादकारण सम्वत् 2055 में उत्पन्न होना अंकित करते हुए वर्ष 1999 में वाद प्रस्तुत किया है तथा अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित आराजी पर उसका कब्जा पिछले 50 वर्षो से हो। ऐसी स्थिति में मूर्ति मन्दिर की ओर से प्रस्तुत बेदखली के वाद को अवधि बाधित होना नहीं माना जा सकता।

9. प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्ही तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन समवर्ती निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक

अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02-04-2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य